

प्रेस नोट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 28.09.2021

आपरेशन हण्ट के तहत शातिर अपराधी तमंचे के साथ गिरफ्तार,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे आपरेशन हण्ट अभियान में वांछितों के गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष शम्भूनाथ सिंह थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में थाना पीपीगंज द्वारा अभियुक्तों की चेकिंग के दौरान मुखबीर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा आपरेशन हण्ट में शामिल शातिर चैन स्नेचर एवं लुटेरा विष्णु कुमार पुत्र राम गिरिश निवासी जंगल बिहुली टोला भगवानपुर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये गैस गोदाम भगवानपुर से पकड़ लिया गया, जिसमें अभियुक्त विष्णु कुमार के पास से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त—

विष्णु कुमार पुत्र राम गिरिश निवासी जंगल बिहुली टोला भगवानपुर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर उम्र 18 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम –

- 1- थानाध्यक्ष शम्भू नाथ सिंह थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर,
- 2- उ०नि० सदानन्द सिन्हा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर,
- 3- हे०का० इकराम खान थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर,
- 4- का० दुर्गेश कुमार यादव थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर,
- 5- का० उपेन्द्र कुमार यादव थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर,
- 6- का० विकास यादव थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग / आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 230/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पीपीगंज गोरखपुर,
2. मु०अ०सं० 844/2020 धारा 392,411 भादवि थाना कैम्पियरगंज गोरखपुर,
3. मु०अ०सं० 860/2020 धारा 392,411 भादवि थाना गोरखनाथ, गोरखपुर,
4. मु०अ०सं० 1182/2020 धारा 392,411 भादवि थाना गुलरिहा, गोरखपुर,
5. मु०अ०सं० 730/2020 धारा 392,411 भादवि थाना चिलुआताल, गोरखपुर,
6. मु०अ०सं० 1392/2020 धारा 392,411 भादवि थाना शाहपुर, गोरखपुर,
7. मु०अ०सं० 893/2020 धारा 379,411 भादवि थाना पीपीगंज, गोरखपुर,
8. मु०अ०सं० 49/21 धारा 3(1) यू०पी० गै०एक्ट थाना कैम्पियरगंज, गोरखपुर,

